त्रिद्विवसीय रोजगारपरक पशुधन प्रशिक्षण

दिशा निर्देश

(Guideline)

२०१२-१३

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत

पशुपालन विभाग, उ.प्र.

जनपद स्तर से प्रशिक्षण में व्यय होने वाली धनराशि प्रति प्रशिक्षण स्थल

42 अन्य व्यय

एक न्याय पंचायत पर 100 प्रशिक्षणार्थियो को (50 महिला व 50 पुरूष) को 3 दिन लगातार प्रशिक्षण दिये जाने पर व्यय।

• विभाग से पृथक अन्य विभाग के विषय विशेषज्ञ/अधिकारियों का यात्रा–भत्ता व मानदेय पर व्यय	7,500
• चाय, वर्किंग लन्च पर व्यय फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सी.डी. शामियाना विद्युत व्यवस्था आदि पर व्यय	30,000
योग	37,500

नोटः उपरोक्त धनराशि अग्रिम आहरित करके सम्बन्धित पशु चिकित्साधिकारियों को हस्तगत करा दी जाये जिससे समयान्तर्गत प्रशिक्षण की तैयारी प.चि.अधिकारी द्वारा पूर्ण कर ली जाये। प्रत्येक प्रशिक्षण स्थल के प्रशिक्षणार्थियों के नाम तथा पते निदेशालय की प्रचार शाखा को हस्तगत कराये।

कार्यालय निदेशक पशु पालन विभाग उत्तर–प्रदेश लखनऊ।

पत्रांकः 1133–1307/प्र.शा.(45)त्रि.रो.प.पशु.प्रशि./2012–13 दिनांक–14/2/2013

1– समस्त अपर निदेशक(ग्रेड–2) पशुपालन विभाग उत्तर–प्रदेश।

2– समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी पशुपालन विभाग उत्तर–प्रदेश।

विषय : राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत त्रिदिवसीय रोजगार परक पशुधन प्रशिक्षण की योजना के दिशा निर्देश।

उपर्युक्त योजना सरकार द्वारा प्रदेश के चयनित 741 विकास खण्डों में प्रत्येक विकास खण्ड की एक न्याय पंचायत पर संचालित की जानी है जिस न्याय पंचायत में पूर्व में कोई भी पशुपालन से सम्बन्धित कोई भी प्रशिक्षण न कराया गया हो तथा किसी भी दशा में एक विकास खण्ड की दो न्याय पंचायतों पर प्रशिक्षण न कराया जाये तथा पूर्व में प्रशिक्षण करायी गई न्याय पंचायत पर तथा पशु चिकित्सालय प्रांगण में कदापि प्रशिक्षण का आयोजन न कराया जाये। चयनित न्याय पंचायत की सभी ग्राम सभा को सम्मलित करते हुये 50 पुरूष तथा 50 महिला प्रशिक्षणार्थियों को चयनित किया जाये। प्रशिक्षण के प्रारम्भ तथा समापन से स्थानीय मा. सांसद, मा. विधायक जी की संज्ञानता में लाते हुये। जन प्रतिनिधियों की सहभागिता अवश्य करायी जाये तथा उनकी व्यस्तता पर उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि को उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाये। प्रशिक्षण स्थल पर ग्राम प्रधान की उपस्थिति अनिवार्य है। स्थानीय पत्रकार बन्धुओं को भी आमंत्रित किया जाये जिससे जनसामान्य में पशुपालन के प्रति जनजागरूकता हो सके। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी स्वयं अपने जनपद के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा मंडलीय अपर निदेशक ग्रेड–2 पशु पालन को सहभागिता हेतु सहमति प्राप्त कर प्रशिक्षण में उन्हें अतिथि हेतु आमंत्रित किया जाये। प्रशिक्षणार्थियों के छाया चित्र तथा वीडियोग्राफी सभी आगन्तुकों की उपस्थिति में की जाये और संकल्प पत्र की प्रति अभिलेख हेतु रक्खा जाये। समस्त प्रशिक्षणार्थियों की सूची निम्न प्रारूप में निदेशालय की प्रचार–शाखा को प्रशिक्षण समाप्ति के सात दिवस के अंदर माइक्रो साफ्ट वर्ड के कुर्तीदेव फांट पर सी.डी. जनपद स्तर की एक सी.डी. तैयार कर निदेशालय की प्रचार–शाखा को हस्तगत करायी जाये। उक्त सी.डी. विभागीय वेबसाइड में डाली जायेगी। विलम्ब की स्थिति में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/लेखाकार तथा पटल सहायक का उत्तरदायित्व निर्धारित होगा।

धनराशि का आवंटन निदेशालय की बजट शाखा द्वारा किया जा रहा है। लक्ष्यों की पूर्ति तथा धनराशि के व्यय में यदि कोई अनिमियता पाई जायेगी तो उसका व्यक्तिगत

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी / पशुचिकित्साधिकारी का होगा लक्ष्य जनपद के विकास खण्ड की संख्या के अनुसार न्याय पंचायतों का है। एक विकास खण्ड में कई पशु चिकित्सालय होने पर प्राथमिकता के आधार पर उस पशु चिकितसालय को प्रशिक्षण कराने हेतु चयनित किया जाये जिसकी किसी भी न्याय पंचायत पर प्रशिक्षण न कराया गया हो उस पशु चिकित्सालय के पशु चिकित्साधिकारी को ही धनराशि का बैंकर चेक / ड्राफ्ट हस्तगत कराया जाये जिससे प्रशिक्षण में होने वाले व्यय में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। प्रशिक्षण की विषय वस्तु मुद्रित है तथा प्रशिक्षण सामग्री निदेशालय से प्रेषित की जा रही है। जनपद में पहुँचते ही प्राप्त कर भण्डार पुस्तिका में अंकित कर प्राप्ति रसीद सामग्री हस्तगत कर्ता को ही हस्तगत कराना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि का अग्रिम्र आहरण तत्काल करना सुनिश्चित करें। आवंटित धनराशि का कोई भी समर्पण मान्य नहीं होगा।

प्रारूप

जनपद का नाम– विकास खण्ड का नाम– न्याय पंचायत का नाम–

प्रशिक्षण स्थल का नाम– प्रशिक्षण का दिनांक– से– तक

क्रमांक	प्रशिक्षणार्थी का नाम	पिता का नाम	पूरा पता / वोटर आई.डी. संख्या / मो. संख्या

निदेशक
पशुपालन विभाग
उ.प्र. लखनऊ

पत्रांकः 1133–1307 / प्र.शा.(45) त्रि.रो.प.पशु. प्रशि. / दिनांक–14 / 2 / 2013

1–प्रतिलिपि जिलाधिकारी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, काशीरामनगर, हाथरस, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, ज्यो.फूलेनगर, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरूर्खाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, जालौन, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपति शाहू जी महाराजनगर (अमेठी), गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, मु0 नगर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंड़ा, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपर्युक्त योजना की आवंटित

धनराशि का अग्रिम आहरण करवाने की कृपा करें जिससे योजना का संचालन हो सके।

2–प्रतिलिपि मुख्य विकास अधिकारी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, काशीरामनगर, हाथरस, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, ज्यो.फूलेनगर, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरूर्खाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, जालौन, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपति शाहू जी महाराजनगर (अमेठी), गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, मु0 नगर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंड़ा, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपर्युक्त योजना की आवंटित धनराशि का अग्रिम आहरण करवाने की कृपा करें जिससे योजना का संचालन हो सके।

3–प्रतिलिपि कोषाधिकारी आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, एटा, काशीरामनगर, हाथरस, बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, ज्यो. फूलेनगर, मेरठ, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, आजमगढ़, मऊ, बलिया, वाराणसी, चन्दौली, जौनपुर, गाजीपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फरूर्खाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, झांसी, जालौन, ललितपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, बाराबंकी, छत्रपति शाहू जी महाराजनगर (अमेठी), गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, मु0 नगर, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, गोंड़ा, बलरामपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपर्युक्त योजना की आवंटित धनराशि का अग्रिम आहरण करवाने की कृपा करें जिससे योजना का संचालन हो सके।

निदेशक
पशुपालन विभाग
उ.प्र. लखनऊ

त्रिदिवसीय रोजगारपरक पशुधन प्रशिक्षण योजना

प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्ष 2012-13

प्रस्तावना

उत्तर प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है जिनके जीविकोपार्जन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन है। कृषि क्षेत्र में त्वरित व सतत् रोजगार के अवसर कम है जबकि पशुपालन समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर गरीबों एवं महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराकर उनके आर्थिक उन्नयन में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है।

12वीं पंचवर्षीय योजना का नारा है 'त्वरित, सतत व अधिक समावेशी विकास'। दुग्ध उत्पादन का कार्य अधिकांशतया लघु व सीमान्त किसानों और भूमिहीन श्रमिकों द्वारा किया जाता है। इस क्षेत्र में महिलाओं की भी प्रभावी भागीदारी है। पशुपालन से समाज के इन कमजोर वर्गों को नियमित आय के स्रोत व सतत् रोजगार का साधन मिल जाता है। विकास की दौड़ में छूट गये व पिछड़ गये बेरोजगारों को पशुपालन द्वारा कम व्यय में आसानी से रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकार यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना की प्रत्येक कसौटी पर खरी उतरती है।

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली बेरोजगार ग्रामीण जनता को रोजगार हेतु सूचित, शिक्षित व प्रेरित किया जायेगा। उन्हें अपनी आजीविका अर्जित करने के लिए उन्नत पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान में होने वाले नवीन तकनीकों व अनुसंधान से भी अवगत कराया जायेगा।

आज बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को पशुधन प्रशिक्षण देकर न केवल उनकी बेरोजगारी दूर की जा सकती है बल्कि प्रदेश के दुग्ध उत्पादन में भी वांछित वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार पशुपालन गांवों की गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन करने का सशक्त व उत्कृष्ट माध्यम है। एक पशु परिवार की आर्थिक रीढ़ एवं सुपोषण देने के साथ ही साथ हमारे पूरे अर्थतन्त्र को सशक्त करता है।

समस्या का स्वरूप

- बेरोजगारी की समस्या विकराल है।
- रोजगार उपलब्ध कराने की गति धीमी है।
- स्वरोजगार हेतु सामान्यतया शिक्षा, उच्च तकनीक व पूँजी चाहिए जो कठिनाई से उपलब्ध है।
- गाँवों में सफलतापूर्वक लगने वाले उद्योगों की कमी है।
- थोड़े बहुत उद्योग शहरों में ही लग रहे हैं जिससे ग्रामीण जनता का पलायन शहरों की ओर हो रहा है। इस कारण झुग्गी–झोपड़ी, प्रदूषण आदि की समस्यायें बढ़ रहीं हैं।

- प्रदेश में बिजली की कमी है जबकि ज्यादातर उद्योग धन्धे बिजली पर ही आधारित है।
- दूध की मांग के मुकाबले आपूर्ति नहीं हो पा रही है।
- दुग्ध उत्पादन लागत बढ़ गई है।
- भारतीय खान–पान में दूध व दालें ही प्रोटीन का मुख्य स्रोत है जबकि प्रदेश में प्रति व्यक्ति दुग्ध की उपलब्धता बहुत कम है।
- श्वेत क्रान्ति के बावजूद भी हमारे दुधारू पशुओं के दुग्ध देने की औसत क्षमता विश्व औसत से काफी कम है।
- बीस सालों में भारत की आबादी लगभग 35 करोड़ बढ़ती है जिसके लिए अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के साथ ही साथ दुग्ध व दुग्ध उत्पादों की बड़े पैमाने पर वृद्धि करनी होगी। अगर हालात नहीं बदले तो कुछ ही वर्षों में गरीबों के नौनिहालों के मुँह का दूध भी छिन सकता है।

पशुपालन की महत्ता

दूरस्थ गाँवों में भी कम पूंजी, बिना बिजली व मशीनरी एवं बगैर शिक्षा के सामान्यजन को तुरन्त लाभ देने वाला प्रदूषण मुक्त उद्योग है। साथ ही यह जैविक खेती का भी आधार है। दुग्ध उत्पाद बनाना आसान है और दुग्ध व उनके उत्पादों की मांग सदैव बनी रहती है। यह आम आदमी द्वारा आसानी से कम पूंजी एवं स्थानीय संसाधनों द्वारा शुरू किया जा सकने वाला ऐसा व्यवसाय है जिसका स्थानीय बाजार तत्काल उपलब्ध है और रिस्क फैक्टर न के बराबर है।

जब तक देश का गरीब, भूमिहीन किसान, मजदूर, महिला आदि सशक्त व खुशहाल नहीं होते तब तक हमारा देश कमजोर रहेगा। पशुपालन कार्य कम पूंजी से बिजली, उच्च शिक्षा, तकनीकी, मशीनरी आदि के बिना भी हो सकता है तुरन्त नकद आय के कारण पशुपालन गरीबों के ए.टी.एम. की तरह है।

बेरोजगारी से त्रस्त आम जनता को यदि हम पशुपालन के बारे में सूचित, शिक्षित व प्रेरित करने में सफल हो जाते हैं तो यह प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भुखमरी, कुपोषण, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन आदि कार्यक्रमों के लिये भी सहायक सिद्ध होगा। पशुपालन कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने के साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी युगान्तरकारी परिवर्तन में सहायक बनकर अन्त्योदय का सपना भी साकार कर सकता है।

योजना का लक्ष्य

- बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को आधुनिक पशुपालन अपनाने के लिए शिक्षित, प्रशिक्षित व प्रेरित करना ।
- विभाग द्वारा बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों के हित में चलायी जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार करना।

- 12वीं पंचवर्षीय नारे के अनुसार त्वरित, सतत् एवं समावेशी रोजगार को प्रोत्साहन देना।
- पशुपालन के जरिये गाँवों में स्वरोजगार उपलब्ध कराकर शहरों की ओर पलायन को रोकना।
- परम्परागत पशुपालन में प्रचलित भ्रान्तियों को दूर करना।
- क्रृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य तकनीकी जानकारी प्रदान कर पशुओं की उत्पादकता बढ़ाना।
- पशुपालन संबंधी नवीन अनुसंधानों एवं तकनीकों को बतलाकर दुग्ध उत्पादन लागत घटाकर पशुपालकों की आय बढ़ाना।
- इस तथ्य का व्यापक प्रचार–प्रसार करना कि पशुपालन आम आदमी द्वारा आसानी से कम पूंजी एवं स्थानीय संसाधनो द्वारा शुरू किया जाने वाला ऐसा व्यवसाय है जिसका स्थानीय बाजार तत्काल उपलब्ध है। इससे त्वरित व सतत् लाभ मिलने लगता है बाजार सर्वत्र उपलब्ध है और रिस्क फैक्टर न के बराबर है। इसका भी प्रचार–प्रसार करना कि पशुपालन गरीबी व बेरोजगारी उन्मूलन करने का सशक्त, उत्कृष्ट व लाभकारी माध्यम है।
- बेरोजगारी को कम करना।
- दुग्ध उत्पादों के निर्माण से जुड़े विभिन्न उद्योगों को बढ़ावा देना।
- गोबर का विभन्न उपयोग सिखाकर पशुपालकों की आय बढ़ाना।
- महिलाओं व अन्य कमजोर वर्गों को आधुनिक पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना।

योजना के लाभ

- गरीबी व बेरोजगारी दूर होगी।
- रोजगार व स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
- बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों द्वारा आधुनिक पशुपालन अपनाने से दुग्ध उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी।
- आधुनिक तकनीकों से पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी।
- बेरोजगारों की आर्थिक स्थिति सुधर जाने से उनका जीवन स्तर सुधरेगा।
- परम्परागत पशुपालन में प्रचलित भ्रान्तियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।
- पशुरोगों के बारे में जानकारी बढ़ने से पशुपालकों के धन की बचत होगी।
- पशु उत्पादों के बारे में प्रशिक्षित होने से मूल्य संवर्धन होगा।
- बेरोजगारी कम होगी और अतिरिक्त आय अर्जन से गरीबों का जीवन स्तर सुधरेगा।
- कृत्रिम गर्भाधान व अन्य वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाने से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।

- पशुपालन अपनाने से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- गोबर जलाने की कुप्रथा रूकेगी। गोबर के उपयोग से भूमि की उर्वरता बढ़ेगी और जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा।
- पशुपालन अपनाने से किसान को महँगी एवं कठिनाई से उपलब्ध रसायनिक खाद कम खरीदनी पड़ेगी। इस प्रकार कृषि उत्पादन लागत में कमी आने से किसान की आय बढ़ जायेगी।
- पशुपालन आम आदमी द्वारा कम पूंजी, सरल तकनीक अल्प श्रम एवं स्थानीय संसाधनों द्वारा शुरू किया जा सकने वाला ऐसा व्यवसाय है जिसका स्थानीय बाजार उपलब्ध है और रिस्क फैक्टर न के बराबर है। इसे खाली समय में भी किया जा सकता है अतएव महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है।
- प्रदूषण मुक्त उद्योग पशुपालन को गाँवों में बगैर बिजली व मशीनरी के सर्वसुलभ तकनीक द्वारा शुरू किया जा सकता है।
- पशुपालन अपनाने से दुधारू पशुओं की दूध देने की औसत क्षमता बढ़ जायेगी और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़ जायेगी। जिससे दुग्ध उत्पादों व दूध के मूल्य में कमी आयेगी पशुपालकों को नवीन तकनीक का ज्ञान होने से दूध की मात्रा व गुणवत्ता में सुधार होगा। जिससे पोषण स्तर सुधरेगा और भुखमरी व कुपोषण के विरूद्ध हमारे प्रयासों को बल मिलेगा।
- आधुनिक पशुपालन अपनाकर पशु पोषण पर ध्यान देने से पशु स्वास्थ्य पर कम व्यय करना पड़ेगा और पशुधन की क्षति भी कम होगी। हमारे पशु लंबे समय तक उत्पादक बने रहेगे और हमें अधिक दूध प्रदान करेगे तथा वास्तविक उत्पादों का लाभ बढ़ जायेगा।
- आधुनिक पशुपालन अपनाने से हम माँस उत्पादन एवं उसके निर्यात में अग्रणी हो जायेगे।
- श्वेत क्रान्ति के बावजूद भी हमारे देश में दुधारू पशुओं के दूध देने की औसत क्षमता विश्व औसत से बहुत कम है, अतएव आधुनिक पशुपालन अपनाकर हम पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत बढ़ा सकते हैं।

योजना का क्रियान्वयन

न्याय पंचायत स्तर पर बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों का प्रशिक्षण

प्रदेश की 820 विकास खण्ड एक न्याय पंचायत में बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान रखा गया है, जिससे बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को पशुधन के बहुआयामी विकास, पशु प्रबन्धन, पशु स्वास्थ्य एवं उनकी देख–भाल विभिन्न संक्रामक रोगों के प्रति सुरक्षात्मक टीकाकरण, उन्नत पशु प्रजनन, क्रत्रिम गर्भाधन के लाभ,

नस्ल सुधार, हरा चारा, पशु पोषण आदि का महत्त्व, परजीवी संक्रमण से रोकथाम, पशुधन आधारित जीविकोपार्जन गतिविधियां, अपौष्टिक चारे को पौष्टिक चारे में बदलना, कुक्कुट, सूकर, भेड़, बकरी, गाय, भैस आधारित व्यवसायिक इकाइयों की स्थापना, पशुधन बीमा तथा बैंकों के माध्यम से पशुधन इकाईयों हेतु इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण प्रस्तावित किया जायेगा। पशुपालकों की आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट विषय पर भी प्रशिक्षण आयोजित कराया जायेगा, जिसको बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों आसानी से तथा सही तरीके से ग्रहण कर लेंगे तथा अपने रोजमर्रा के पशुपालन में अंगीकार कर अपना लेंगे। विकास खण्ड की न्याय पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान समस्त पशुपालकों को पशुपालन संबंधी साहित्य दिये जाने का भी प्राविधान रखा गया है।

बेरोजगार महिलाओं /पुरूषों का चयन

ग्राम स्तर पर सर्वप्रथम बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को जो पशुपालन के कार्य में रूचि रखते है उन बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों का प्रथम वरीयता के आधार पर चयन किया जायेगा। उक्त चयन में 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित रखी जायेगी। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर की एक न्याय पंचायतों पर 100 बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों के प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाना है। यदि न्याय पंचायत स्तर पर बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों की संख्या अधिक है यथा संभव प्रयास कर सभी बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

न्याय पंचायत स्तर पर बेरोजगार महिलाओं/पुरूषों के चयन हेतु समिति

खण्ड विकास अधिकारी	अध्यक्ष
पशुचिकित्सा अधिकारी	सदस्य
पशुधन प्रसार अधिकारी	सदस्य
सचिव दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति	सदस्य

प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था

इस योजनान्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर न्याय पंचायत भवन या प्राथमिक पाठशाला या अन्य कोई सार्वजनिक स्थल पर सामूहिक रूप से त्रिदिवसीय प्रशिक्षण स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी अपने अधीनस्थ स्टाफ तथा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक, ग्राम सेवक, आंगनबाडी कार्यकर्ती आदि को भी सम्मिलित करते हुये स्थानीय न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान/ ब्लाक प्रमुख को भी सहभागिता आवश्यक रूप से रखते हुये प्रशिक्षण कार्य क्रियान्वित करेंगे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (न्याय पंचायत हेतु) प्रशिक्षण तिथि का निर्धारण सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिवस– प्रथम

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण दाता	समय
1.	उद्घाटन, चाय, नाश्ता		09:30 A.M. to 10:30 A.M.
2.	बेरोजगार पुरूषों/महिलाओं को पशु पालने हेतु उन्नतशील गाय, भैस, भेड़, बकरी, कुक्कुट आदि पशु का चयन तथा बेरोजगार पुरूषों/महिलाओं की अभिरूचि को जागृत करना।	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी /प्रतिनिधि	10:30 A.M. to 12:30 A.M.
3.	पशु का खान–पान तथा आवास व्यवस्था	पशुचिकित्सा विद्यालय/ कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ/पशु चिकित्साधिकारी	12:30 A.M. to 01:00 P.M.
4.	लन्च		01:00 P.M. to 01:30 P.M.
5.	पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान	–तदैव–	1:30 P.M. to 2:30 P.M.
6.	पशुओं का संक्रामक रोगों से बचाव	–तदैव–	2:30 P.M. to 3:30 P.M.
7.	प्रश्नोत्तर के साथ चाय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी /प्रतिनिधि	3:30 P.M. to 4:00 P.M.

दिवस– द्वितीय

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण दाता	समय
1.	चाय		9:30 A.M. to 10:00 A.M.
2.	हरा चारा उत्पादन तथा उपयोग	जिला कृषि अधिकारी/ प्रतिनिधि	10:00 A.M. to 11:30 A.M.
3.	बैंकिग तथा पशुधन बीमा की जानकारी	लीड बैक के प्रतिनिधि तथा बीमा करवाने के प्रतिनिधि	11:30 A.M. to 12:30 P.M.
4.	लन्च		12:30 P.M..to 1:30 P.M.
5.	पशु उत्पादन का विपणन	डेरी विभाग के प्रतिनिधि	1:30 P.M..to 2:30 P.M.
6.	पशुधन लघु उद्योग की तुलना, पर्यावरण मित्र उद्योग पशुपालन, जैविक खेती का आधार	पशुपालन विभाग तथा पर्यावरण विभाग	2:30 P.M. to 3:30 P.M.
7.	समस्या के समाधान चाय के साथ।	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/प्रतिनिधि	3:30 P.M. to 4:00 P.M.

दिवस– तृतीय

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण दाता	समय
1.	चाय व संकल्प पत्र वितरण		9:30 A.M. to 10:00 A.M.
2.	गाय एवं भैंस का व्यवसाय तथा लाभ	पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा	10:00 A.M. to 11:00 A.M.
3.	भेड़, बकरी का व्यवसाय तथा लाभ	पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा	11:00 A.M. to 12:30 P.M.
4.	लंच		12:30 P.M.to 1:30 P.M.
5.	सूकर पालन का व्यवसाय तथा लाभ	पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा	1:30 P.M. to 2:30 P.M.
6.	कुक्कुट/बत्तख पालन का व्यवसाय	पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा	2:30 P.M. to 3:00 P.M.
7.	कार्यक्रम समीक्षा, संकल्प पत्र एकत्रण प्रमाण–पत्र वितरण, चाय	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/प्रतिनिधि	3.00 P.M. to 4:00 P.M.

उद्घाटन एवं प्रशिक्षण हेतु विषय विशेषज्ञ/सम्बंधित अधिकारी

जनपद के मु.प.चि.अ. संबंधित योजना को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाते हुये उनके द्वारा या नामित जनपद के अन्य जनपदीय अधिकारियों द्वारा पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन/ समापन कराये जाने का प्रयास सुनिश्चित करेगें। स्थानीय जन प्रतिनिधि की सहभागिता तथा स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकारों की सहभागिता अवश्य कराये।

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय मे विभिन्न संकायों के विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलायें जाने हेतु उक्त विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता को प्रशिक्षण समय सारणी उपलब्ध कराते हुये विशेषज्ञों की उपस्थिति हेतु अनुरोध करेगें।

संबंधित विकास खण्ड के पशु चिकित्साधिकारी एवं विकास खण्ड के अन्तर्गत अन्य पशुचिकित्साधिकारी से प्रशिक्षण का कार्य सम्पन्न करायेगें।

गाय, भैस, सूकर, भेड़ बकरी विकास आधारित व्यवसायिक इकाईयों की स्थापना बैंको के माध्यम से किये जाने संबंधी जानकारी हेतु संबंधित विकास खण्ड अन्तर्गत लीड बैंक से संपर्क कर प्रशिक्षण दाता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेगें।

पशुधन बीमा, पशुधन उत्पाद का विपणन से संबंधित जानकारी हेतु डेरी विभाग से व्यापक समन्वय स्थापित कर उक्त विभाग द्वारा नामित अधिकारी से प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करायेगें।

चारा उत्पाद से संबंधित जानकारी हेतु कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर नामित अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित करायेगें। पशु चिकित्साविदों को किसी भी प्रकार का मानदेय स्वीकृत न किया जाये ।